


22/10/21

पत्रावली प्रसारण गांवों के संग "आग्नेयान ग्राम पंचायत" में है। प्राथमिक उपस्थित है। प्रकरण का स्थिति में विवरण इस प्रकार है कि प्राचीन द्वारा एक प्राचीन - पत्र-अन्वयित धारा 136 एल (आर) Act - 1956 पेश कर उगावली खसरा नं 13/2 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं 1 रकबा 1 बिस्वा रकबा 15/4 रकबा 6 बिस्वा रकबा 17/6 रकबा 1 बिस्वा रकबा 19/8 रकबा 69 बीघा 8 बिस्वा गाँव ग्राम - पंच - विजयपुर तथा आराजी खसरा नं 212/50 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नं 210/50 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा गाँव ग्राम तलावगाँव पटवार हल्का तलावगाँव तहसील जालसोट के राजस्व रिकॉर्ड में प्राचीन का नाम राजेश पुत्र नानगरा की जगह राजेन्द्र पुत्र नानगराम मीना भुइयार के नाम का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया गया। पत्रावली पर प्राचीन को कुल पत्रा तथा सह-खातेदारों के बयान/शपथ-पत्र लिखे जाये सह-खातेदारों द्वारा प्राचीन का नाम राजेन्द्र पुत्र नानगराम मीना सभी बताया है तथा प्राचीन के प्रारंभ को स्वीकार करने में सहमत जगह है। पत्रावली में तहसीलदार जालसोट से रिपोर्ट की गई। तहसीलदार जालसोट ने अपनी रिपोर्ट में प्राचीन का नाम सुद्विधु प्रारंभ भुइयार के नाम का अद्यक्षा की है। प्राचीन का मे संलग्न परस्तावेजात रिपोर्ट संरक्षित ग्राम तलावगाँव, प्राचीन का आधार कार्ड, अंक. एलिका मा. वि. बोर्ड एवं शपथ-पत्र का अवलोकन किया गया। सुद्विधु प्राचीन - पत्र प्राचीन प्राचीन का नाम राजेश पुत्र नानगराम की जगह राजेन्द्र पुत्र नानगराम मीना भुइयार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः रिपोर्ट तहसीलदार जालसोट, गवह/शपथ-पत्र सह-खातेदार, व पत्रावली में उद्योग्य दस्तावेजात के आधार पर प्राचीन का प्रारंभ संश्लेषित धारा 136 Act - 1956 स्वीकार किया जाता है तथा सुद्विधु प्रारंभ प्राचीन का नाम राजेश रिकॉर्ड में राजेश पुत्र नानगरा की जगह राजेन्द्र पुत्र नानगराम भुइयार के नाम का अद्यक्षा किया जाये। तहसीलदार जालसोट को प्राचीन निवेदन की प्रति प्रेषित हो। पत्रावली जालसोट भुमार एकरा नंबर से कम हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 जालसोट, जिला - हरियाणा